पत्र सं0 वि0व0 संग्रह-महालेखाकार -2015-16 / 351 / 15/6037 वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर , वाणिज्य कर,उ0प्र

(सग्रह अनुभाग)

लखनऊ दिनांक 01 ~~अगस्त~~ Sep. 2015

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर

वाणिज्य कर , उ0प्र0 ।

मा0 लोक लेखा समिति 2014-15 के प्रतिवेदन में यह तथ्य सूचित किया गया है कि विभागीय रजिस्टर आर-3 की सम्परीक्षा के उपरान्त 32 खण्डों में 349 मामले ऐसे पाये गये जिनमें रु0 9.84 करोड की बकाया निहित थी । इन मामलों में बकाया वसूली की कार्यवाही एक दिन से 5 वर्ष 18 दिन विलम्ब से शुरु की गयी । इस कार्यवाही में विलम्ब से डिमाण्ड नोटिस जारी करना एवं विलम्ब से वसूली प्रमाण पत्र जारी करना रहा है जो कि आपत्तिजनक है ।

उक्त सम्परीक्षा रिपोर्ट (लोक लेखा समिति 14-15) की उक्त टिप्पणी अत्यन्त गंभीर है । यह प्रदर्शित करती है कि फील्ड स्तर पर वसूली की कार्यवाही काफी शिथिलता पूर्वक की जा रही है , जिससे एक ओर विभाग / राजस्व की प्राप्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड. रहा है साथ ही नियमो का उल्लंघन हो रहा है ।

अत: कृपया अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें कि बकाया वसूली में विलम्ब या उपर्युक्त अनियमितताए न की जायें । यदि निरीक्षण में इस प्रकार की अनियमितताएं पायी जाती है तो मुख्यालय को तत्काल अवगत कराते हुए सम्बन्धित अधिकारी / कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रस्ताव भी उपलब्ध कराने का कष्ट करे ।

31/08/15

(बी0राम शास्त्री)

एडीशनल कमिश्नर,वणिज्य कर

उत्तर प्रदेश,लखनऊ

पृ0प0स0 व उक्त

प्रतिलिपि- समस्त एडी0कमि0 ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0/ अपील) वाणिज्य कर मुख्यालय ।

2- समस्त ज्वा0कमि0 (कार्य0) / वि0अनु0शा0 / वाणिज्य कर उ0प्र0 ।

3- मुख्यालय के समस्त नोडल अधिकारियों को इस अनुरोध के साथ कि जोन में निरीक्षण के दौरान इस बिन्दु पर भी जॉच कर निरीक्षण टिप्पणी में इस बिन्दु का भी उल्लेख करें ।

4- समस्त कर निर्धारण अधिकारियों को सूचनार्थ ।

5- संग्रह अनुभाग को पॉच प्रतियॉ अतिरिक्त ।

डिप्टी कमिश्नर (संग्रह)वणिज्य कर

मुख्यालय,लखनऊ